

राजस्थान-सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)
पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 78 / 2023

बउनवान

रामनारायण पुत्र घांसीलाल धाकड़ निवासी टांची तहसील छीपाबडौद

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबडौद

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री आलोक गोयल अभिभाषक

(अपीलांट)

2- परोकार सरकार

(रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 28.07.2023

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 536 / 2022 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2022 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम टांची की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 मे खसरा नम्बर 388 की रकबा 01 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 01 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 50/- रुपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 05.04.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है जिससे अपीलांट को न तो जवाबदेही का अवसर मिला और न हीं साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया है। हल्का पटवारी से जिरह भी नहीं हो सकी, इन सभी तथ्यों बाबत न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद को वक्त बहस अर्ज किया गया था परंतु अधी. न्यायालय द्वारा कोई गौर न फरमाकर अपीलांट को सजायाब किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है और न हीं उक्त प्रकरण में अपीलांट को अधी. न्यायालय द्वारा नोटिस की विधिवत् तामील हुई है। पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दंडित किया गया है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है इसलिए कानून की जानकारी नहीं है। अधी. न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना अपीलांट को जमाना पूर्व में ही जमा करवा दिया गया है और सरकारी भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। उक्त निर्णय के बारे में अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। अधी. न्यायालय अपीलांट को जिला कारागृह, बारों में भिजवाने पर आमादा है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 22.11.2022 निरस्त फरमाया जाने की कृपा करें।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांत द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील प्रोपर करवाई गई है। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांत द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांत द्वारा पुनः सम्वत् 2079 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांत की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील प्रोपर करवाई गई थी। अपीलांत वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये और अपीलार्थी को पटवारी के बयानों में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटि होना पाया जाता है।

अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 536/2022 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट, 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 22.11.2022 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांत को उक्त आदेश से दी गई (01 माह) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि अपीलांत विवादित आराजी वाके ग्राम गगचाना के खसरा नम्बर 388 की रकबा 01 बीघा भूमि से स्वयं का कब्जा हटाकर तहसीलदार, छीपाबड़ौद के समक्ष अन्दर एक माह में शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि मेरे द्वारा उक्त विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है, वर्तमान में उक्त आराजी पर मेरा कब्जा नहीं है एवं भविष्य में भी उक्त राजकीय भूमियों पर कब्जा नहीं करूंगा तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 536/2022 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2022 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2022 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति० जिला कलक्टर
बारों